संख्या: 15/2023/1686664/12-2010/7/2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकरी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक: 01 मार्च, 2023

विषय: अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में मिलेट्स (श्री अन्न) के उत्पादन एवं उपयोग के सम्बन्ध में शासकीय विभागों की रणनीति सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स (श्री अन्न) वर्ष 2023 के दृष्टिगत मिलेट्स (श्री अन्न) के उत्पादन एवं उपयोग में वृद्धि हेतु व्यापक अन्तर्विभागीय प्रयास की अति आवश्यकता के दृष्टिगत केन्द्र सरकार की मिलेट्स (श्री अन्न) संबंधी योजना के अतिरिक्त राज्य सेक्टर में भी इसके प्रोत्साहन हेतु नीति बनाई गई है।

2. इस सम्बन्ध में अधोहस्तक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 14 जनवरी, 2023 को अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स (श्री अन्न) वर्ष 2023 तथा मिलेट्स (श्री अन्न) उत्पादन कार्यक्रम की सम्पन्न समीक्षा बैठक से संबंधित कार्यवृत्त संख्या: 1686664/12-2010/7/2022, दिनांक 30 जनवरी, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

3. उल्लेखनीय है कि मिलेट्स (श्री अन्न) की प्रमुख फसल ज्वार एवं बाजरा है। स्माल मिलेट्स (श्री अन्न) में सांवा एवं कोदों की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य स्माल मिलेट्स (श्री अन्न) में काकून, रागी, कुटगी, चेना, कुट्टू एवं चौलाई की भी खेती की जाती है। वर्तमान में प्रदेश में मिलेट्स (श्री अन्न) का कुल क्षेत्राच्छादन लगभग 11 लाख हे0 है, जिसमें बाजरा 9.04 लाख हे0, ज्वार 1.71 लाख हे0 तथा स्मॉल मिलेट्स (श्री अन्न) में कोदो/सांवा 0.07 लाख हे0 क्षेत्र है, जिसे आगामी वर्षे में बढ़ाकर 25 लाख हे0 तक किया जाना है।

4. कृषि विभाग के शासनादेश संख्या:7/2023/172/12-2-2023-4/2022 दिनांक 01 फरवरी, 2023 (प्रति संलग्न) द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत नीति जारी की जा चुकी है।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स (श्री अन्न) वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में मिलेट्स (श्री अन्न) उत्पादन कार्यक्रम की दिनांक 14 जनवरी, 2023 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में चर्चा उपरान्त विभागवार निम्नवत अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग:-

(i) मिलेट्स (श्री अन्न) की प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाए।
(ii) उद्यमियों/कृषक उत्पादक संगठनों को मिलेट्स (श्री अन्न) के प्रसंस्करण हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
(iii) प्रसंस्करण से संबंधित मदों का प्रभावी ढंग से प्रचार-प्रसार करते हुए क्रियान्वयन पर बल दिया जाए जिससे उसका परिणाम कृषकों के मध्य दिखाई पड़े।

कृषि विपणन विभाग:

(i) प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में मिलेट्स उत्पादों के आउटलेट/स्टोर की स्थापना सुनिश्चित की जाए।
(ii) प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में मिलेट्स (श्री अन्न) अनाजों/उत्पादों हेतु विक्रय स्थल का आवंटन सुनिश्चित किया जाए।

बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा विभाग:-

(i) मिलेट्स (श्री अन्न) के विभिन्न फसल, उनके विभिन्न उत्पाद एवं पोषण में महत्व को स्कूल कैरिकुलम में सम्मिलित कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ii) मिलेट्स (श्री अन्न) के लाभकारी गुणों के सम्बन्ध में अध्यापकों को प्रशिक्षित कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए जिससे वह छात्र-छात्राओं को उसके प्रतिजागरूक बना सके। इस कार्य हेतु कृषि विभाग द्वारा प्रख्यापित (श्री अन्न) योजना में वित्तीय प्राविधान भी किए गए हैं।

(iii) अध्यापकों के माध्यम से स्कूल के छात्र-छात्राओं को मिलेट्स (श्री अन्न) के महत्व पर जागरूक करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(iv) मिड-डे-मील कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलेट्स (श्री अन्न) के विभिन्न उत्पादों को सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(v) स्कूलो के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु स्कूलो में मिलेट्स (श्री अन्न) पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ यथा मिलेट्स पहचानना, मिलेट्स (श्री अन्न) के पोषक तत्व, निबंध लेखन, क्विज एवं प्रोजेक्ट वर्क आदि का आयोजन सुनिश्चित किया जाए।

<u>बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग:-</u>

(i) मिलेट्स (श्री अन्न) उत्पाद को पुष्टाहार कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

<u>खाद्य एवं रसद विभाग:-</u>

(i) एम0एस0पी0 पर विभिन्न तिलहन (मुख्य रूप से ज्वार तथा बाजरा) का प्रोक्योरमेंट कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) मिलेट्स (श्री अन्न) अनाजों को पी0डी0एस0 में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

<u>पर्यटन विभाग/होटल एवं रेस्टोरेन्ट एसोसिएशन</u>:-

(i) मिलेट्स (श्री अन्न) के विभिन्न उत्पादों की रेसिपी तैयार करने व मैन्यू में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(ii) मिलेट्स (श्री अन्न) के विभिन्न उत्पादों को तैयार करने की रेसिपी बनाने की विधि से आमजन को जानकारी उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(iii) मिलेट्स (श्री अन्न) के विभिन्न उत्पादों को तैयार करने वाले शेफ तथा उक्त के गुणों के बारे में प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम का आयोजन कराए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(iv) होटल एवं रेस्टोरेंट एसोशिएशन समस्त होटलों में मिलेट्स (श्री अन्न) से तैयार व्यंजनों को सम्मिलित करते हुए उसका डिसप्ले कराये जाने तथा मिलेट्स (श्री अन्न) के उत्पादों के लिए शेफ कम्पटीशन का आयोजन कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(v) मिलेट्स (श्री अन्न) के पकवानों पर मेले आयोजित किया जाए, जिसमें मिलेट्स (श्री अन्न) के पकवान उत्पादक एफ0पी0ओ0 को आमंत्रित किया जाए।

<u>ग्राम्य विकास विभाग</u>:-

(i) विकास खण्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मिलेट्स (श्री अन्न) के आउटलेट एवं स्टोर की स्थापना सुनिश्चित करायी जाए।

(ii) स्वयं सहायता समूहों/एन0आर0एल0एम0 को मिलेट्स (श्री अन्न) के उत्पाद को तैयार करने हेतु प्रशिक्षित किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(iii) एन0आर0एल0एम0 द्वारा चयनित आंगनबाड़ी एवं पोषित आहार में मिलेट्स (श्री अन्न) को सम्मिलित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(iv) मिलेट्स (श्री अन्न) के उत्पादों को तैयार करने हेतु एन0आर0एल0एम0 के सहायता समूह को प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

<u>सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग</u>:-

(i) ओ0डी0ओ0पी0 में मिलेट्स (श्री अन्न) को सम्मिलित करने की कार्यवाही की जाए। (यथा बाजरा हेतु आगरा एवं कानपुर मण्डल, सांवा एवं कोदो हेतु जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर एवं बुन्देलखण्ड)

(ii) वर्तमान योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

<u>सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग:-</u>

(i) मिलेट्स (श्री अन्न) का विभिन्न स्तरों पर प्रचार-प्रसार कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

सचिवालय प्रशासन विभाग:–

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(i) उ0प्र0सचिवालय की कैन्टीन में मिलेट्स (श्री अन्न) उत्पाद एवं उससे तैयार होने वाले पकवान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(ii) आई0आर0सी0टी0सी0, सचिवालय कैन्टीन एवं आकांक्षा आउटलेट पर मिलेट्स (श्री अन्न) के उत्पादों के डिसप्ले के उदघाटन हेतु मुख्य सचिव कार्यालय से दिनांक तथा समय निर्धारित कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

समस्त विभाग:-

(i) विभिन्न विभागों द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मिलेट्स (श्री अन्न) के उत्पाद के उत्पादन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(ii) विभागीय बैठकों/कार्यक्रमों में मिलेट्स (श्री अन्न) उत्पाद एवं उससे तैयार होने वाले व्यंजन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कृपया उक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या: 15/2023/1686664(1)/12-210/7/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2 निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, कृषि विदेश व्यापार एवं विपणन निदेशालय, गोमती नगर, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, उद्यान एवं खाद्यय प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. महाप्रबंधक, नाबार्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या: 07/2023/ 172/12-2-2023-4/2022

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी, 2023

विषय: प्रदेश में मिलेट्स/पौष्टिक अनाज (ज्वार, बाजरा, कोदो, सावां, रागी/मडुआ आदि)) की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम' का संचालन किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु मिलेट्स के उपभोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 को अन्तर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (इण्टरनेशनल इयर ऑफ मिलेट्स-आई0वाई0ओ0एम0) के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि मिलेट्स प्राचीन काल से भारतीय आहार का प्रमुख भाग रहा है एवं पर्याप्त क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती थी। वर्तमान में इसकी खेती का क्षेत्रफल कम हो गया है एवं भारतीय आहार में भी इसकी मात्रा नगण्य होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण किसानों द्वारा धान एवं गेहूं की खेती का किया जाना है, क्योंकि गेहूं एवं धान आहार का प्रमुख भाग है एवं इसकी बिक्री भी आसानी से हो जाती है। परन्तु पोषण की दृष्टि से मिलेट्स में धान एवं गेहूं की तुलना में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व यथा विटामिन्स, फाइबर आदि अधिक मात्रा में पाए जाते है। मिलेट्स के पोषण में महत्व को देखते हुए इसे न्यूट्री-सीरियल/पोषक अनाज कहा जाता है।

3. प्रदेश में मिलेट्स के अन्तर्गत ज्वार, बाजरा, कोदो एवं सांवा की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। वर्ष 2021-22 में कुल 10.83 लाख हे0 क्षेत्रफल मिलेट्स फसलों से आच्छादित रहा है, जिसमें से सर्वाधिक 9.05 लाख हे0 क्षेत्रफल मे बाजरा, 1.71 लाख हे0 में ज्वार, 0.02 लाख हे0 में कोदो एवं 0.05 लाख हे0 में सांवा से आच्छादित रहा है। मिलेट्स के अन्तर्गत सम्मिलित फसलों की खेती कम उपजाऊ भूमि, शुष्क क्षेत्र अथवा वर्षा आधारित क्षेत्र, पहाड़ी/पठारी क्षेत्र में एवं विपरीत मौसम में भी आसानी से की जा सकती है। प्रदेश में कई जनपद एवं उनमें कई विकास खण्ड ऐसे हैं, जहॉ पर मिलेट्स की खेती के लिए समुचित जलवायुवीय दशाएं उपलब्ध हैं, जहॉ पर ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी/ मडुआ आदि की खेती को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

4. अत: वर्ष 2022-23 (01 जनवरी, 2023) से 2026-27 तक प्रदेश में मिलेट्स की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम' (उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम-यू0पी0एम0आर0पी0) नाम से नवीन योजना संचालित किए जाने का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है, जिसका उददेश्य निम्नवत है:-

(i) प्रदेश में मिलेट्स फसलों की खेती को बढ़ावा देते हुए क्षेत्राच्छादन/उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों की आय में वृद्धि करना।

(ii) मूल्य संवर्द्धन एवं विपणन के माध्यम से जन सामान्य के आहार में मिलेट्स के उपभोग को बढ़ावा दे कर संतुलित आहार की तरफ प्रेरित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. 'उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम' (उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम-यू0पी0 एम0आर0पी0) का क्रियान्वयन वर्ष 2022-23 (दिनांक 01 जनवरी, 2023) से वर्ष 2026-27 तक किया जाएगा।

6. कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में किया जाएगा तथा प्रदेश में भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत न्यूट्रीसीरियल घटक के अन्तर्गत 24 जनपद (सूची संलग्नक-1) के अन्तर्गत जो कार्य मद केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत चिन्हांकित है, उन्हें केन्द्र पोषित योजना से क्रियान्वित किया जाएगा तथा अन्य कार्य मद इस योजना से आच्छादित किए जायेंगे।

7. प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में रणनीति निम्नवत है:-

(i) उत्पादन/उत्पादकता वृद्धि हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज विकसित करना एवं उपलब्ध कराना। गुणवत्तायुक्त बीज के प्रयोग मात्र से ही लगभग 15 से 20 प्रतिशत उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की जायेगी।

(ii) गुणवत्तायुक्त बीजों के मिनीकिट का वितरण कृषकों को करते हुए अधिकाधिक क्षेत्रफल को आच्छादित किया जायेगा।

(iii) मिलेट्स के उत्पादन के समुचित उपभोग हेतु मिलेट्स जनसामान्य के दैनिक आहार में सम्मिलित किया जाएगा तथा जिसके लिए मिलेट्स के नए-नए उत्पादों की रेसीपी विकसित की जाएगी।

(iv) मिलेट्स के विभिन्न उत्पादों को तैयार करने हेतु मिलेट्स की प्रसंस्करण इकाईयों को स्थापित किया जायेगा।

(v) मिलेट्स के आर्थिक एवं पौष्टिक रूप से लोकप्रिय किए जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न स्टेक होल्डर का क्षमता सम्वर्धन एवं इसके व्यापक रूप से कृषि पद्धति में समाहित किए जाने हेतु व्यवहार परिवर्तन हेतु यथावश्यक उपाय व जागरूकता सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

8. प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्नवत हैं:-

(i) (a) प्रदेश में मिलेट्स की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु मिलेट्स के बीज मिनीकिट कृषकों को नि:शुल्क वितरित किए जायेंगे। समस्त 75 जनपदों में संकर/संकुल ज्वार के 03 कि0ग्रा0 के बीज मिनीकिट, संकर/संकुल बाजरा के 02 कि0ग्रा0 के बीज मिनीकिट एवं कोदो, सावां, रागी/मडुआ आदि के 03 कि0ग्रा0 के बीज मिनीकिट कृषकों को नि:शुल्क वितरित किए जायेंगे। नि:शुल्क बीज मिनीकिट वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत अनुमानित बीज व्यवस्था एवं वित्तीय आवश्यकता का विवरण निम्नवत है:-

विवरण	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27	योग
बीज मिनीकिट की संख्या	37,000	54,000	71,000	88,000	2,50,000
धनराशि (लाख रू0 में)	165.75	249.10	338.30	433.35	1186.50

गुणवत्तायुक्त बीजों का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राज्य की प्रमाणित बीज वितरण योजना के अन्तर्गत अनुदान पर किया जायेगा।

(i) (b) आगामी 2023-24 से चार वर्षो तक मिलेट्स के बीज मिनीकिट 2.50 लाख कृषकों को वितरित किए जाएगें जिससे प्रदेश में 0.77 लाख हे0 क्षेत्रफल आच्छादित होगा एवं कुल 0.88 लाख मी0टन उत्पादन प्राप्त किया जायेगा।

(i) (c) मिलेट्स (ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी/मडुआ आदि) के बीज की व्यवस्था राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर उत्पादित आधारीय/प्रमाणित श्रेणी के उन्नतशील प्रजातियों के बीज, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषक उत्पादक संगठनों तथा संकर ज्वार व संकर बाजरा के बीज की व्यवस्था कृषि विभाग द्वारा संकर बीज कम्पनियों/फर्म के माध्यम से किया जाएगा।

(i) (d) बीज मिनीकिट के वितरण में सीमान्त एवं लघु कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी, यदि सामान्य किसान भी मिलेट्स का बीज लेना चाहें तो उसे भी उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतया एक मिनीकिट ही उपलब्ध कराया जायेगा, लेकिन बाजरा बीज के अतिरिक्त यदि अन्य मिलेट्स लगाने के लिए भी किसान उत्सुक है तो उसे उसका भी मिनीकिट दिया जा सकता है। अधिकतम दो मिनीकिट उसके क्षेत्रफल को देखते हुए दिया जा सकता है। कृषकों का चयन कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत अथवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

भारत सरकार के किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत आच्छादित कृषकों में से किया जायेगा। चयनित कृषकों में 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। महिला कृषकों को विशेष वरीयता प्रदान किया जाएगा।

(i)(e) जनपद में कृषकों को नि:शुल्क बीज मिनीकिट वितरण करने के लिए जनपदवार लक्ष्य का निर्धारण कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के स्तर से किया जायेगा। मिलेट्स बीज मिनीकिट वितरण का कार्य मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जनपद/विकास खण्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से कराया जाएगा। बीज मिनीकिट वितरण का जियो-टैगिंग कराया जाएगा तथा वितरण की सूची को विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(ii) मिलेट्स के बीज व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम से अधिकृत कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्रमाणित/सत्यापित बीजों का उत्पादन का कार्य कराया जायेगा। बीज उत्पादन का कार्य कृषक उत्पादक संगठन द्वारा अपने शेयरधारक कृषकों के माध्यम से कराने हेतु वरीयता दी जाएगी। बीज उत्पादन के कार्य हेतु दृष्टि योजना अन्तर्गत चयनित कृषक उत्पादक संगठनों को प्राथमिकता प्रदान किया जायेगा। बीज उत्पादन के कार्य की देख-रेख उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के द्वारा किया जायेगा। कृषक उत्पादक संगठन द्वारा उत्पादित बीज को उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा क्रय किया जायेगा एवं 'उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम' के अन्तर्गत बीज मिनीकिट के रूप में किसानों को वितरण हेतु कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा उत्पादित बीज को स्वयं अपने स्रोत के माध्यम से भी कृषकों को वितरित/विक्रय किया जा सकेगा। बीज उत्पादन के कार्य जो एक कृषक उत्पादक संगठन को रू0 4.00 लाख का सीड-मनी कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक कुल 180 कृषक उत्पादक संगठनो को बीज उत्पादन हेतु सीड मनी उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। सीड मनी का उपयोग कृषक उत्पादक संगठन द्वारा सिर्फ मिलेट्स बीज उत्पादन हेतु किया जायेगा। सीड मनी हेतु वित्तीय आवश्यकता का विवरण निम्नवत है:-

विवरण	इकाई	दर (रू0 लाख)	योग (रू0 लाख)
कृषक उत्पादक संगठन द्वारा मिलेट्स के बीज उत्पादन प्रोत्साहन हेतु सीड-मनी	180	4.00	720.00

(iii) वर्ष 2022-23 (01 जनवरी, 2023) से वर्ष 2026-27 तक मिलेट्स फसलों की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों एवं उपभोग को प्रचारित एवं प्रसारित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्टेक होल्डर्स के मध्य प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रदेश/जनपद/तहसील/न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशालाएं, श्रव्य-दृश्य माध्यमों के विभिन्न माड्यूल का उपयोग कर जनपद स्तरीय प्रदर्शन कार्यक्रम, कृषक प्रशिक्षण, फील्ड डे एवं अन्य क्षमता सम्वर्धन गतिविधियों सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा, जिस पर वित्तीय आवश्यकता का विवरण संलग्नक-2 व संलग्नक-3 के रूप में संलग्न है।

(iii)(a) राज्य स्तर पर दो दिवसीय एक क्षमता सम्वर्धन कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रदेश में मिलेट्स प्रोत्साहन सम्बन्धी विभिन्न तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में देश एवं प्रदेश में मिलेट्स अनुसंधान से जुड़े हुए विभिन्न वैज्ञानिकों, कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों/तकनीकी कार्मिकों, निजी क्षेत्र के मिलेट्स आधारित प्रसंस्करण उद्योगों के उद्यमियों एवं प्रत्येक जनपद से दो प्रगतिशील कृषकों एवं 15-20 कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष इस क्षमता सम्वर्धन कार्यशाला के आयोजन में कुल 1500 कृषक प्रतिभाग करेंगे।

(iii)(b) प्रदेश के 51 जनपदों में प्रत्येक वर्ष दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मिलेट्स की खेती, मूल्य संवर्धन आदि पर कृषकों का क्षमतावर्धन किया जायेगा। इस कार्यशाला में कृषि विभाग के अधिकारियो/तकनीकी कार्मिकों, जनपद के कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिक एवं 150 कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। राज्य के शेष 24 जनपदों में एन0एफ0 एस0एम0 योजनान्तर्गत उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(iii)(c) प्रत्येक वर्ष प्रदेश के 51 जनपदों में आयोजित जनपद स्तरीय प्रदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से मिलेट्स की खेती, विभिन्न प्रकार के उत्पादों के उपभोग एवं उनसे होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभ विषय पर श्रव्य-दृश्य माध्यमों से जागरूक किया जायेगा। उक्त का आयोजन न्याय पंचायत/विकास खण्ड/तहसील/जनपद स्तर पर किया जायेगा। शेष 24 जनपदों में एन0एफ0 एस0एम0 योजनान्तर्गत उपरोक्त को आयोजित कराया जायेगा।

(iii)(d) प्रत्येक वर्ष प्रदेश के 51 जनपद में एक जनपद स्तरीय कृषक तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इन कृषकों को न्याय पंचायतों/गॉवों में कृषकों को मिलेट्स की खेती पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक प्रशिक्षण में 200 कृषक लाभान्वित होंगे तथा पूरे परियोजना काल में कुल 40800 कृषक लाभान्वित होंगे। शेष 24 जनपदों में एन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत कृषक प्रशिक्षण आयोजित कराया जायेगा।

(iii)(e) प्रत्येक वर्ष हर जनपद में चयनित कृषक उत्पादक संगठनों के 50 कृषक सदस्यों को मिलेट्स के बीज उत्पादन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। पूरे परियोजना काल में कुल 15000 कृषक लाभान्वित किए जायेंगे।

(iii)(f) प्रत्येक जनपद में वितरित मिलेट्स बीज मिनीकिट को लगाने वाले कृषकों में से चयनित कृषकों के खेतों पर फील्ड डे का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें उस कृषक के खेत में मिलेट्स की फसल की वृद्धि एवं उत्पादन पर फील्ड डे का आयोजन कर प्रत्येक जनपद में 200 कृषकों को जागरूक किया जायेगा, प्रत्येक वर्ष 15000 कृषक लाभान्वित होंगे एवं पूरे परियोजना काल में कुल 60000 कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।

(iii)(g) राज्य स्तर पर मिलेट्स के प्रचार-प्रसार हेतु दूरदर्शन व अन्य टी0वी0 चैनल, आकाशवाणी व एफ0एम0 रेडियो, प्रचार वाहन, रेलवे स्टेशन पर प्रचार, दैनिक समाचार पत्र व मैगजीन, साहित्य यथा फोल्डर, बुकलेट, कैलेण्डर प्रकाशित एवं वितरित किया जायेगा। जनपद/तहसील/न्याय पंचायत स्तर पर मिलेट्स के प्रचार-प्रसार हेतु बैनर व होर्डिंग, नुक्कड़ नाटक यथा पपेट शो तथा वाल पेन्टिंग आदि माध्यमों को अपनाया जायेगा।

(iii)(h) स्कूल छात्रों एवं छात्राओं के माध्यम से उनके अभिभावकों तक मिलेट्स के उपभोग पर जागरूक किया जाएगा। इस उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में प्रत्येक वर्ष चिन्हित स्कूलों के 50 अध्यापको को मिलेट्स के विभिन्न उत्पाद, उनका पोषण में महत्व एवं उनके उपभोग विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अपने-अपने स्कूलों में छात्रों एवं छात्राओं को जागरूक किया जायेगा।

(iii)(i) मिलेट्स की खेती एवं मूल्य संवर्द्धन विषय पर उत्कृष्ट पद्धतियों के अध्ययन हेतु देश/प्रदेश के प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं/मिलेट्स के उत्पाद तैयार करने वाली अग्रणी कम्पनियों के प्रसंस्करण इकाईयों पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्सपोजर एवं लर्निंग विजिट आयोजित किया जाएगा, जिससे उनके द्वारा प्रदेश में मिलेट्स कार्यक्रम का प्रभावी संचालन करने में सर्वोत्तम पद्धतियों की सीख को आत्मसात कर नीति का क्रियान्वयन किया जा सके।

(iii)(j) प्रत्येक वर्ष मिलेट्स की खेती एवं प्रसंस्करण से जुडे कृषकों, कृषक उत्पादक संगठनों एवं मिलेट्स की सफलतापूर्वक संचालित प्रसंस्करण इकाईयों पर कृषकों का एक्सपोजर विजिट आयोजित किया जायेगा। 51 जनपद से एक एक्सपोजर विजिट में 80 कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। शेष 24 जनपदों में एन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत एक्सपोजर विजिट आयोजित किया जायेगा।

(iii)(k) प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जनपद में एक मिलेट्स के मूल्य संवर्द्धन हेतु विभिन्न उत्पादों की रेसीपी कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं मिलेट्स अनुसंधान केन्द्रों आदि के सहयोग से विकसित करते हुए उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराये जायेंगे।

9(i) मिलेटस प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन केन्द्र की स्थापना हेतु कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषक उत्पादक संगठनों एवं उद्यमियों द्वारा क्रियान्वित कराया जाएगा। इनके द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का चयन, योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु गठित निम्नवत समितियों द्वारा किया जायेगा:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

9(i)(क) राज्य स्तरीय परियोजना स्क्रीनिंग समिति:-

यह समिति योजना के संचालन हेतु नीति निर्धारण, पात्रता हेतु मापदण्ड निर्धारण, अनुदान भुगतान हेतु मानक के निर्धारण एवं योजना की सामयिक प्रगति की समीक्षा आदि हेतु अधिकृत होगी। मिलेटस प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन केन्द्र की स्थापना हेतु कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषक उत्पादक संगठनों एवं उद्मियों से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण एवं अप्रेजल का कार्य समिति द्वारा किया जायेगा। समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार समिति में अधिकतम दो सदस्यों को नामित किया जा सकेगा:

क्र0सं0	नाम	पद
1	कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	अध्यक्ष
2	वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
3	संयुक्त निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0।	सदस्य
4	वैज्ञानिक, मिलेटस अनुसधान केन्द्र/कृषि विश्वविद्यालय।	सदस्य
5	निदेशक, सी0एफ0टी0आर0आई0 द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
6	मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
7	अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।	सदस्य-सचिव

उक्त समिति के सदस्य सचिव मिलेटस प्रसंस्करण सह विपणन केन्द्र की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों को संकलित कराते हुए समिति के समक्ष परीक्षण एवं अप्रेजल हेतु प्रस्तुत करेंगे तथा उक्त समिति प्रस्तावों का परीक्षण एवं अप्रेजल कर औपचारिकताओं से पूर्ण प्रस्तावों को अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के समक्ष अपनी संस्तुति सहित प्रस्तुत करेगी।

9(i)(ख) राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति:-

राज्य स्तरीय परियोजना स्क्रीनिंग समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृति, अनुश्रवण एवं स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त करने हेतु राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति अधिकृत होगी। समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार समिति में अधिकतम दो सदस्यों को नामित किया जा सकेगा:-

क्र0सं0	नाम	पद
1	अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (पी0एफ0ए0डी0 प्रभाग)	सदस्य
3	कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5	विशेष सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7	अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य-सचिव

9(ii) वर्ष 2023-24 से वर्ष 2026-27 तक मिलेट्स के मूल्य संवर्द्धन हेतु प्रदेश में कुल 55 मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन केन्द्र की स्थापना करायी जाएगी। एक केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 95.00 लाख की लागत आंकलित की गयी है। 25 केन्द्रों की स्थापना कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से कराया जाएगा, जिसके लिए शतप्रतिशत पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। 30 केन्द्रों की स्थापना क्रियाशील कृषक उत्पादक संगठनों/उद्यमियों के माध्यम से कराया जायेगा, जिसके लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत की व्यवस्था कृषक उत्पादक संगठनों/उद्यमियों को स्वयं की निधि से अथवा कृषि अवसंरचना निधि (एग्रीकल्चर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड) आदि के माध्यम से करना होगा। 55 मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन केन्द्र की स्थापना पर व्यय की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

विवरण	इकाई	दर (रू0 लाख)	योग (रू0 लाख)
कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन केन्द्र स्थापना	25	95.00	2375.00
कृषक उत्पादक संगठनों/उद्यमियों के माध्यम से मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन केन्द्र स्थापना	30	47.50	1425.00
योग			3800.00

10. मिलेटस की उन्नत प्रजातियों के अनुसंधान एवं नवाचार सम्बन्धी कार्य उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा। उपकार द्वारा इसकी योजना तैयार कर कृषि उत्पादन आयुक्त की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। धनराशि की व्यवस्था कृषि विभाग द्वारा उपकार को उनकी मांग पर उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए व्यय की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

विवरण	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27	योग
अनुसंधान एवं नवाचार सम्बन्धी कार्य (लाख रू0)	140.00	140.00	140.00	140.00	560.00

11. छोटे कस्बों/नगरीय आबादी/छोटे शहरों में मिलेट्स के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु जनपदों में कृषकों/कृषक उत्पादक संगठनों/उद्यमियों/स्वयं सहायता समूहों आदि के माध्यम से मोबाइल आउटलेट का संचालन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में मिलेट्स के स्टोर स्थापित कराए जाएंगें। मोबाइल आउटलेट पर प्रति इकाई रू0 10.00 लाख एवं मिलेट्स स्टोर पर प्रति इकाई रू0 20.00 लाख का सहयोग निर्धारित है जिसमें प्रति इकाई 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग मिलेट्स के उत्पादों हेतु किया जाएगा एवं 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग मोबाइल आउटलेट/स्टोर के साज सज्जा, उपकरण आदि पर किया जाएगा। मोबाइल आउटलेट तैयार करने/स्टोर के निर्माण पर आने वाले व्यय को कृषकों/कृषक उत्पादक संगठनों/उद्यमियों/स्वयं सहायता समूहो द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन से लगभग 100 रोजगार सृजित होगे, जिस पर व्यय की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	कार्यक्रम का विवरण	इकाई	दर (रू0 लाख)	योग (रू0 लाख)
1	मोबाइल आउटलेट	50	10	500.00
2	मिलेट्स स्टोर	25	20	500.00
योग				1000.00

12(i) योजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा। कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति 'उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम' (उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम-यू0पी0एम0आर0पी0) के क्रियान्वयन हेतु गाइड लाइन तैयार करना, कार्यक्रम के वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण, क्रियान्वयन की सामायिक प्रगति की समीक्षा आदि के कार्य हेतु अधिकृत होगी। स्क्रीनिंग समिति द्वारा तैयार गाइड लाइन एवं वार्षिक लक्ष्यों पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। राज्य स्तर पर अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश, जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक के माध्यम से परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

12(ii) कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया जाएगा जिसके नोडल अधिकारी अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश होंगे। नोडल अधिकारी के अधीन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा निर्धारित नीति, गाइड लाइन के अनुसार कार्यक्रम के जनपदवार लक्ष्य आवंटन, जनपदों द्वारा क्रियान्वयन की सामयिक प्रगति की समीक्षा हेतु अधिकृत होगी। राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति एवं राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठकें आयोजित करवाना, नीतियों एवं गाइड लाइन आदि का अभिलेखीकरण, बैठके, समीक्षा, समन्वय आदि कार्यों को परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा सम्पादित किया जाएगा। परियोजना प्रबंधन इकाई के स्टेशनरी, वाहन, मानदेय, कार्यालय व्यय, इन्टरनेट, कम्प्यूटर इत्यादि के व्यय का विवरण निम्नवत है:-

विवरण	वर्ष 2022-23 (दिनांक 01 जनवरी, 2023 से)	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27	योग (लाख रू0)
परियोजना प्रबंधन इकाई के संचालन हेतु धनराशि (रू0 लाख)	10.00	50.00	50.00	50.00	50.00	210.00

13(i) उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम-यू0पी0एम0आर0पी0) की नवीन कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर आगामी 05 वर्षों मे धनराशि का व्यय का विवरण निम्नवत है:-

विवरण	वर्ष 2022-23 (01 जनवरी, 2023)	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26	वर्ष 2026-27	योग (लाख रू0)
मिलेट्स की खेती को प्रोत्साहन हेतु बीज मिनीकिट का वितरण		165.75	249.10	338.30	433.35	1186.50
उत्पादन में वृद्धि हेतु मिलेट्स का बीज उत्पादन		180.00	180.00	180.00	180.00	720.00
मिलेट्स की खेती एवं उत्पाद निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम	905.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	8825.00
मिलेट्स की खेती एवं उत्पाद निर्माण हेतु यथावश्यक प्रचार-प्रसार के माध्यम के प्रयोग की वित्तीय उपाशयता	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	2325.00
मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन केन्द्र की स्थापना		950.00	950.00	950.00	950.00	3800.00
मिलेट्स सम्बन्धी अनुसंधान एवं नवाचार		140.00	140.00	140.00	140.00	560.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

हेतु प्रोत्साहन						
मिलेट्स विपणन हेतु मिलेट्स आउटलेट/ स्टोर की स्थापना हेतु प्रोत्साहन		250.00	250.00	250.00	250.00	1000.00
परियोजना प्रबंधन इकाई के संचालन हेतु	10.00	50.00	50.00	50.00	50.00	210.00
योग	1380.00	4180.75	4264.10	4353.30	4448.35	18626.50

13(ii) वर्ष 2022-23 (01 जनवरी, 2023) से वर्ष 2026-27तक प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम' (उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम- यू0पी0एम0आर0पी0) क्रियान्वयन पर आगामी 05 वर्षों में रू0 18626.50 लाख का अनुमानित व्यय आंकलित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नई योजना स्वीकृत करते हुए उक्त व्यय को वहन किया जायेगा।

14. 'उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम' के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, क्षेत्र विस्तार एवं क्रियान्वयन के दिशा-निर्देशों में भविष्य की आवश्यकता के अनुसार वांछित संशोधन राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा किया जायेगा।

15. योजनान्तर्गत् व्यय के मदों में यथावश्यकता कोई वृद्धि/परिवर्तन वित्त विभाग के परामर्श से मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन अन्तर्गत प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन में निहित अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता एवं योजना की उपादेयता के दृष्टिगत योजना के क्रियान्वयन से राज्य में मिलेट्स के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। योजना में प्रस्तावित गतिविधियों के माध्यम से राज्य में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ाने, कुशल प्रसंस्करण और फसल चक्रण का बेहतर उपयोग करने तथा खाद्य बास्केट के एक प्रमुख घटक के रूप में मिलेट्स को स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा।

16. नि:शुल्क बीज वितरण के उपरान्त कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्मिक यथा प्राविधिक सहायक/ संविदा कार्मिकों यथा बी0टी0एम0 एवं ए0टी0एम0 तथा प्रगतिशील कृषकों के साथ एन0आर0 एल0एम0 अन्तर्गत प्रोत्साहित की गयी कृषि सखियों के माध्यम से बुवाई सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही योजना के प्रत्येक स्तर जैसे जागरूकता एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम, प्रशिक्षण, फील्ड डे, मिलेट्स रेसीपी विकास एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आदि में भी स्वयं सहायता समूह/कृषि सखी की सहभागिता यथावश्यकता सुनिश्चित की जायेगी।

17. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में मिलेट्स (ज्वार, बाजरा, कोदो, सावां, रागी/मडुआ आदि)) की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिए 'उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम' का संचालन उपर्युक्तानुसार दिये गये निर्देशानुसार कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 07/2023/172(1)/12-2-2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. वैज्ञानिक, मिलेट्स अनुसंधान केन्द्र द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर, अयोध्या, मेरठ तथा बांदा द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, सी0एफ0टी0आर0आई0 द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
9. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, पानदरीबा, लखनऊ।
10. अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. श्री पी0 एस0 ओझा, राज्य सलाहकार, एफ0पी0ओ0 सेल, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक–1

मिलेट	आच्छादित जनपद
ज्वार	05–कानपुर नगर, कानपुर देहात, बांदा, हमीरपुर एवं चित्रकूट
बाजरा	19–बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, बदायूं, सम्भल, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, जालौन, प्रयागराज, प्रतापगढ़, गाजीपुर एवं मिर्जापुर
कोदो/सांवा	01–सोनभद्र

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक–2

मिलेट्स की खेती एवं उत्पाद निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम

क्र. स.	कार्य का विवरण	इकाई	दर (रू. लाख) /प्र. इकाई	लाभार्थी की संख्या प्रति वर्ष		वर्षवार वित्तीय आवश्यकता (धनराशि रू0 लाख में)				
					2022-23 (01.01.2023)	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	योग
1	दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला	1	20	1500	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
2	दो दिवसीय जनपद स्तरीय कार्यशाला	51	05	7650	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	1275.00
3	जनपद स्तरीय प्रदर्शन कार्यक्रम	51	05	25500	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	1275.00
4	जनपद स्तरीय कृषक प्रशिक्षण	51	05	10200	–	255.00	255.00	255.00	255.00	1020.00
5	बीज उत्पादन पर कृषक उत्पादक संगठनों के सदस्यों का प्रशिक्षण	75	2.5	3750	–	187.5	187.5	187.5	187.5	750.00
6	बीज मिनीकिट प्रदर्शन खेत पर फील्ड डे का	75	0.50	15000	–	37.5	37.5	37.5	37.5	150.00
7	स्कूल कैरीकुलम के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण	75	01	3750	–	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
8	राज्य/मण्डल स्तरीय अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा देश/प्रदेश की उत्कृष्ट पद्धतियों के ऑनसाईट अध्ययन के माध्यम से उनका क्षमता सम्बर्धन	01	10	50	–	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
9	जनपदीय अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा देश/प्रदेश की उत्कृष्ट पद्धतियों के ऑनसाईट अध्ययन के माध्यम से उनका क्षमता सम्बर्धन	51	05	1020	–	255.00	255.00	255.00	255.00	1020.00
10	कृषकों द्वारा देश/प्रदेश की उत्कृष्ट पद्धतियों के ऑनसाईट अध्ययन	51	05	4080	–	255.00	255.00	255.00	255.00	1020.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	के माध्यम से उनका क्षमता सम्बर्धन									
11	मिलेटस रेसीपी विकास एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	75	05	-	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1875.00
	योग			72500	905.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	8825.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक-3

मिलेट्स की खेती एवं उत्पाद निर्माण हेतु यथावश्यक प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्रयोग की वित्तीय उपाशयता

क्र. स.	कार्य का विवरण	इकाई	दर (रू. लाख) /प्र. इकाई	वर्षवार वित्तीय आवश्यकता (धनराशि रू0 लाख में)					
				2022-23 (01 जनवरी, 2023)	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	योग
1	राज्य स्तर पर प्रचार प्रसार	1	210	210	210	210	210	210	1050
2	न्याय पंचायत/ तहसील/ जनपद स्तर पर प्रचार प्रसार	51	5	255	255	255	255	255	1275
योग				**465**	**465**	**465**	**465**	**465**	**2325**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।